भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2297

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों के स्थगनादेश का मामलों पर प्रभाव

2297. श्री पसुनूरी दयाकर :

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :

श्रीमती कविता मलोथू :

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदालतों में मामलों के लम्बित रहने और उनके इकट्ठे होने का एक मुख्य कारण स्थगनादेश है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा न्यायालय के स्थगनादेश को सीमित करने के लिए कोई प्रस्ताव लाए जाने का विचार है जैसा कि कई अवसरों पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने मत प्रकट किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार मामलों के त्वरित निपटान हेतु किसी मामले को सीमित संख्या में स्थगित किए जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय से आग्रह करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : मामले के निपटान के लिए लिया गया समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मामले (सिविल या आपराधिक) की श्रेणी, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुवक्किलों का सहयोग के अतिरिक्त भौतिक अवसंरचना, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता और प्रक्रिया के नियमों का लागू होना है । ऐसे

कई कारक है जो मामले के निपटान में विलंब कर सकते हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन, पुनरीक्षणों/अपीलों की संख्या और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, उनका पता लगाने और एकत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । अतः केवल स्थगन के कारण मामलों के निपटान में औसत विलंब का आकलन करना साध्य नहीं है ।

न्यायालयी मामलों के विचारण में शीघ्रता से निपटान के क्रम में, प्रक्रिया संबंधी विधियों में कई विधायी परिवर्तन किए गए, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 में अंतर्विष्ट दांडिक और सिविल मामलों में न्यायालयी कार्यवाहियों के स्थगनों को सीमित करने के लिए उपबंध भी सम्मिलित है । सरकार न्यायिक प्रणालियों में बकाया और लंबन के चरणवार परिसमापन के लिए न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रही है, जिसमें, अन्य बातों के साथ न्यायालयों के लिए बेहतर अवसरंचना अंतवर्लित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय और मानव संसाधन विकास पर बल है ।

****